न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास- इन्द्राज सिंह R.A.S.

वाद संख्या 81/2019

निर्णय दिनांक 11.12.2019

1. पवन कुमार } पुत्र जयलाल जाति जाट निवासीगण किरतान तहसील राजगढ़
2. सोमवीर } जिला चूरू - वादीगण

बनाम

1. जयलाल पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जरिए शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

-प्रतिवादीगण

4. सुशीला पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- गौण प्रतिवादीनी

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

उपस्थित ! 1. श्री कुन्दन यादव अधिवक्ता वास्ते वादीगण
2. " भूमरलाल अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनी
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 3.

निर्णय

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि गत खसरा न. ... ताडादी 95 बीघा 4 बिश्वा, ख० न० 52 तादादी 13 बीघा 11 बिश्वा कुल तादादी 111 बीघा 15 बिश्वा रोही मौजा किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित जो वादीगण के दादा श्योदत की 1/2 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि थी। ... विवादित कृषि भूमि है। वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकार्ड सलग्न वाद है। भू प्रबन्ध बीकानेर द्वारा सम्वत 2025 में गत ख० न० 19 तादादी 95 बीघा 4 बिश्वा तथा ... तादादी 3 बिश्वा तथा 18 मीन तादादी 3 बिश्वा के हाल ख० न० 51 तादादी 58 बीघा ... बिश्वा तथा गत ख० न० 22 मीन के हाल ख० न० 56 तादादी 10 बीघा 9 बिश्वा ... ख० न० 22 मीन के हाल ख० न० 57 तादादी 10 बीघा 9 बिश्वा तथा गत ख० न० ... हाल ख० न० 74 तादादी 13 बीघा 11 बिश्वा रोही मौजा किरतान बने। भू प्रबन्ध

2.

जिला बीकानेर द्वारा सम्वत 2062 में गत ख० नं० 51 मीन के हाल ख० नं० 137 तादादी 0.01 है० व गत ख० नं० 51 मी० के हाल ख० नं० 138 तादादी 6.22 है० तथा गत ख० नं० 51 मी० के हाल ख० नं० 135 तादादी 0.01 है० तथा गत ख० नं० 51 मी० के हाल ख० नं० 136 तादादी 6.22 है० तथा गत ख० नं० 56 के हाल ख० नं० 149 तादादी 1.33 है० तथा गत ख० नं० 56 के हाल ख० नं० 204 तादादी 3.43 है० रोही मौजा किरतान बने।

बाद विभाजन हाल ख० नं० 137 तादादी 0.0100 है० ख० नं० 138 तादादी 6.23 है० कुल तादादी 6.23 है० तथा ख० नं० 204 तादादी 3.43 है० में से 1/8 हिस्सा रोही मौजा किरतान जो कि वादीगण व गौण प्रतिवादीनी सं. 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 जयलाल के एक हिस्सा में आई जो वादीगण की व गौण प्रतिवादीनी व प्रतिवादी सं. 1 की दादालाई कृषि भूमि है। वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनी हिन्दू धर्म को मानने वाले तथा हिन्दू धर्म की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दादालाई कृषि भूमि में पुत्र/पुत्री/ पौत्र व पौत्री को जन्म से ही हक अधिकार हासिल होते हैं। प्रतिवादी सं. 1 जयलाल जो कि परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण वादीगण के दादा रूपोदत्त का स्वर्गवास होने के बाद उक्त दादालाई कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाई बजरंग के खातेदारी में दर्ज हो जाने से प्रतिवादी सं. 1 अपने आपको अकेला सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार मानने लगा तथा वादीगण को रोजाना धमकी देता है कि उक्त कृषि भूमि मेरे अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए वादीगण को कृषि भूमि ख० नं० 137, 138 तादादी 6.23 है० में उनका 1/4 - 1/4 हिस्सा को तथा ख० नं० 204 तादादी 3.43 है० में उनका 1/32 - 1/32 हिस्सा काश्त नहीं करने देगा तथा अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति को रहन, बेचान करेगा ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित कृषि भूमि में अपने हिस्से को अलग से राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी बार कहा व कहलवाया कि विवादित कृषि भूमि में गलत रूप से अकेले के नाम दर्ज हिस्सा को वादीगण के हिस्से के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे मगर प्रतिवादी सं. 1 जयलाल आज कल-आजकल की कहकर टाल मटोल करता रहा व ऐसा मानने से दिनांक 30.3.19 को बमुकाम किरतान में साफ इन्कार कर दिया लिहाजा इसी दिनांक से वादीगण को वादाधार व वाद कारण हासिल है। विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है मगर वाद पत्र के अनुतोष में विवादित कृषि भूमि बैंक के हक में रहन बदस्तूर रखी जा रही है जिस कारण वाद पत्र के अनुतोष से बैंक के हित प्रभावित नहीं होते हैं जिस कारण बैंक आवश्यक पक्षकार नहीं होने से बैंक को पक्षकार वाद संयोजित नहीं किया गया है लिहाजा घोषित किया जावे कि विवादित कृषि भूमि ख० नं० 137 तादादी 0.0100 है० ख० नं० 138 तादादी

प्रत्येक 1/4 - 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 1/4 हिस्से का तथा गौणप्रतिवादीनी सं. 4 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार तथा ख० नं० 204 तादादी 3.43 हे० रोही मौजा किरतान मे वादीगण 1/32 - 1/32 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 - 1/32 हिस्से का तथा गौणप्रतिवादीनी 1/32 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। आदि-आदि पेश कर इसी अनुरूप घोषित किया जा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का अनुतोष चाहा गया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व गौणप्रतिवादीनी सं. 4 स्वयं हाजिर अदालत होकर इकबाल दावा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार विवादित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनी के परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादीगण के दादा श्योदत्त के खातेदारी की रही है तथा विरासतन इन्तकाल के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी मे दर्ज हुई है जिस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादी व गौणप्रतिवादीनी के द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा से होती है तथा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार बैंक के हित प्रभावित नही होते है ऐसी सूरत में वाद वादी प्रस्तुत इकबाल दावा से पुष्ट व प्रमाणित होता है जिस कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख० नं० 137 तादादी 0.0100 हे० ख० नं० 138 तादादी 6.22 हे० कुल तादादी 6.23 हे० रोही मौजा किरतान की कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक 1/4 - 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 - 1/4 हिस्से का तथा गौणप्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार तथा ख० नं० 204 तादादी 3.43 हे० रोही मौजा किरतान मे वादीगण प्रत्येक 1/32 - 1/32 हिस्से का तथा गौणप्रतिवादीनी सं. 4 - 1/32 हिस्से की तथा प्रतिवादी सं. 1 - 1/32 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा विवादित कृषि भूमि संबंधित बैंक के रहन बदस्तूर रहेगी। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी